



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102025-266755
CG-DL-E-08102025-266755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4430]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4430]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4558(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में (NH80 के कि.मी. 95.7 से कि.मी.192.33) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के भागलपुर जिले में NH80 के कि.मी. 95.7 से कि.मी.192.33 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: भागलपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पीरपैती					
गांव का नाम: सलेमपुर (९८)					
1	231	निजी	भीठ 2	0.0172 (हेक्टेयर)	0.0172
तालुक का नाम: कहलगाँव					
गांव का नाम: जगेसरपुर (२३५)					
2	358	निजी	भीठ 2	0.0041 (हेक्टेयर)	0.0041
गांव का नाम: रोहर (२०७)					
3	180	निजी	भीठ 2	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
गांव का नाम: सीरी कंठपुर (२४२)					
4	11	निजी	भीठ 2	0.0142 (हेक्टेयर)	0.0142
गांव का नाम: औरंगाबाद (२९४)					
5	16	निजी	भीठ 1	0.0526 (हेक्टेयर)	0.0526
गांव का नाम: सुंदरपुर (३८०)					
6	548	निजी	भीठ 2	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
7	675	निजी	भीठ 2	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
गांव का नाम: शंकरपुर कोद्वार (41)					
8	7594	निजी	भीठ 2	0.0041 (हेक्टेयर)	0.0041
9	7836	निजी	भीठ 2	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
तालुक का नाम: सुल्तानगंज					
गांव का नाम: भवनाथपुर (५९)					
10	1004	निजी	भीठ 2	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
Total					0.1549

[फा. सं. NHAI/12010/06/BGS/2016/Tech/6904/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4558(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of (NH80 in the stretch of land from Km. 95.7 to Km. 192.33) in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, Bhagalpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH80 in the stretch of land from Km. 95.7 to Km. 192.33 () in the district of BHAGALPUR in the state of BIHAR

State: BIHAR			District: BHAGALPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pirpainti					
Village: Salempur (98)					
1	231	Private	BHITH 2	0.0172 (Hectare)	0.0172
Taluk: Kahalgaon					
Village: Jagesarpur (235)					
2	358	Private	BHITH 2	0.0041 (Hectare)	0.0041
Village: Rohar (207)					
3	180	Private	BHITH 2	0.0121 (Hectare)	0.0121
Village: Siri Kanthpur (242)					
4	11	Private	BHITH 2	0.0142 (Hectare)	0.0142
Village: Aurangabad (294)					
5	16	Private	BHITH 1	0.0526 (Hectare)	0.0526
Village: Sundarpur (380)					
6	548	Private	BHITH 2	0.0121 (Hectare)	0.0121
7	675	Private	BHITH 2	0.0061 (Hectare)	0.0061
Village: Shankarpur Kodwar(41)					
8	7594	Private	BHITH 2	0.0041 (Hectare)	0.0041
9	7836	Private	BHITH 2	0.0162 (Hectare)	0.0162

Taluk: Sultanganj					
Village: Bhaunathpur (59)					
10	1004	Private	BHITH 2	0.0162 (Hectare)	0.0162
Total					0.1549

[F. No NHA/12010/06/BGS/2016/Tech/6904/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director